

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&1	संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&3	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूचना।
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&5	दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है प्रवर्गों के अनुसार
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टिया
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&8	निर्णय लेने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर से)
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&11	प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&12	मुख्य विषय जिन पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उनका विवरण:-
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&13	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति:-
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&14	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण:-
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&15	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&16	इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाय
<u>eʃɪʃɪy</u> ʃɪʃɪy; k&17	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
<u>i fʃf'k"V **d**</u>	जनता को प्रतिलिपियाँ और सूचना की सम्पूर्ति करने तथा सचिवालय के अभिलेख-कक्ष तक पहुँच को विनियमित करने के लिए नियम (ये नियम सचिवालय, विभिन्न विभागों के द्वारा वर्तमान तथा अन्य अभिलेखों की प्रतियां प्रदान करने को भी विनियमित करते हैं)।
<u>i i =</u> ʃɪʃɪy; k&1	(निर्वाचन विभाग के अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ एवं तत्सम्बन्धी सूचना संपूर्ति जनता को करने हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र)
<u>i i =</u> ʃɪʃɪy; k&2	(निर्वाचन विभाग के अभिलेख कक्ष में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र)

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eūvy | ꝑ; k&1

I ꝑBu dñ fo' kf"V; ka dR; , oa dr];

- 1- ykd i kf/kdj .k dk विभाग के कार्यों को सुव्यस्थित एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारित करना है।
- 2- ykd i kf/kdj .k dk यह एक रेगुलेटरी प्रकार का विभाग है। कोई विकास से संबंधित कार्य विभाग द्वारा सम्पादित नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्य सभा, लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचन कार्यों का सम्पादन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाता है।
- 3- ykd i kf/kdj .k dk उ0प्र0राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने के पश्चात निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया। इस विभाग द्वारा वे सभी कार्य सामान्यतया सम्पादित किये जा रहे हैं, जो पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के निर्वाचन विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते थे। निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान समय में 13 जनपदों में जिला निर्वाचन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं शासन स्तर पर निर्वाचन अनुभाग सृजित हैं। इस विभाग के कर्तव्यों में मुख्यतया निम्न कार्यों का सम्पादन किया जाना है:-
1. महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्य।
 2. महामहिम उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्य।
 3. राज्य से संबंधित राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित कार्य।
 4. राज्य से संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित कार्य।
 5. राज्य विधान सभा के निर्वाचन से संबंधित कार्य।
 6. निर्वाचन विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विषयक कार्य।
 7. विभाग से संबंधित बजट संबंधी कार्य।
 8. विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के सतत

पुनरीक्षण से संबंधित कार्य।

9. मतदाता फोटो पहचान पत्रों के निर्माण एवं वितरण संबंधी कार्य।
10. लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कार्य।

5- ykdl i kf/kdj .k }kj k
i nÜk I okvks dh I iph , oa
mudk I f{klr fooj .k

6- ykdl i kf/kdj .k ds
fofHklu Lrjk i j
I &BukRed <kpk

शून्य

1. जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मानक के अनुरूप प्रवर सहायक एवं कनिष्ठ सहायक तथा अनुसेवक / चौकीदार कार्यरत हैं।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव/प्रोग्रामर, आशुलिपिक, प्रवर सहायक एवं कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, दप्तरी एवं अनुसेवक के पद हैं।
3. अनुभाग स्तर पर अनुभाग अधिकारी, दो समीक्षा अधिकारी, एक सहायक समीक्षा अधिकारी, एक डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं एक अनुसेवक के पद सृजित हैं। अनुभाग अधिकारी से उपर अनुसचिव, उप सचिव एवं सचिव के पद सृजित हैं। सचिव द्वारा ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन भी किया जाता है। इसके अलावा मुख्य सचिव राज्य सरकार के प्रधान सचिव होने के नाते विभाग के शासकीय प्रधान भी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन कार्यपालिका की शक्ति श्री राज्यपाल में निहित है और श्री राज्यपाल द्वारा इसका प्रयोग सीधे स्वयं अथवा सचिव के माध्यम से संविधान के अनुरूप किया जाता है। विभाग के समस्त कार्यपालक कार्यवाही श्री राज्यपाल के नाम से ही अभिव्यक्त की जाती है एवं निर्वाचन विषयक कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही अभिव्यक्त की जाती है।

7- ykdl i kf/kdj .k dh dk; l
n{krk c<kus gsrq tu
l g; kx dh vi §kk; §

निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्य जन सहयोग पर आधारित कार्य हैं यथा :— निर्वाचनों का सम्पादन, निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, फोटो पहचान पत्र अभियान आदि।

- 8- tu | g; kx | fuf' pr
dju s dh fof/k@θ; oLFkk
- 9- tu | okvks ds vuψo.k
, oa f' kdk; rk̄ ds
fuj kdj .k dh θ; oLFkk
- 10- e[; dk; kly; rFkk
fofHkklu Lrjks i j
dk; kly; ks ds i rs
- 11- dk; kly; ks ds [kgyus , oa
cun gkus dk | e;

निर्वाचन कार्यों में जन सहयोग हेतु प्रेस नोट, विज्ञापन आदि के माध्यम से जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास समय—समय पर विभाग द्वारा किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत जन सेवा संबंधी यथा—निर्वाचक नामावलियों में नाम अंकित करने अथवा परिमार्जित करनें, फोटो पहचान पत्रों में उपलब्ध त्रुटियों को दूर किये जाने, निर्वाचनों के सम्पादन के समय प्राप्त शिकायतों इत्यादि के सम्बन्ध में जनसाधारण से जो शिकायते प्राप्त होती हैं उन पर यथाशीघ्र कार्यवाही कर निराकरण किया जाता है।

जिला स्तर पर समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय कलैकट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समीप ही अवस्थित हैं तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं निर्वाचन अनुभाग 4—सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून में स्थित है।

अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलते हैं एवं सायं 5 बजे बन्द होते हैं।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eMvy | a; k &2

vf/kdkfj ; ka vkJ depkfj ; ka dh 'kfDr; ka vkJ dr];

Hkkx&1] vf/kdkfj ; ka dh 'kfDr; ka

निर्वाचन विभाग में निम्न पदनाम के अधिकारी हैं:-

1. सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. उप सचिव।
3. सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उपरोक्त अधिकारियों के निम्न अधिकार हैं:-

1- I fpo , oaeq; fuokbu vf/kdkjh ds vf/kdkj %&
d\h foUkh; vf/kdkj

सचिव की हैसियत से वित्तीय नियम संग्रह-2, भाग-1 तथा 2, उ0प्र0मूल नियमों तथा भाग नियमों तथा भाग-3 दिये गये सहायक उल्लिखित नियमों के प्रयोजन के लिए वित्तीय नियम खण्ड-2 के भाग-4 के वितरण पत्र एक में विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस हैसियत से ये इस नियम संग्रह के भाग-4 के विवरण पत्र 3 तथा 4 में उल्लिखित प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भी विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। अतः वे उन अधिकारों का प्रयोग उस सीमा तक कर सकते हैं, जो उसमें उल्लिखित है। इसके अलावा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, बजट मैनुअल, उ0प्र0 भविष्य निधि नियमावली, 1985, उ0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियमावली और समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भी शासन के प्रशासकीय विभागों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है।

[k\h i t k\l fud vf/kdkj %&

सचिव की हैसियत से इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों के श्रेणी ख, ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी है। नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से नियुक्ति, पदोन्नति तथा बृहद दण्ड देने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त है।

इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राविधानित निर्वाचन विषयक वे समस्त अधिकार प्राप्त हैं, जो समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपें जायें।

X- m0i Ø dk; l fu; ekoyh 1975 ds v/khu fn; s x; s vf/kdkj%

इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित उत्तराखण्ड कार्य बंटवारा नियमावली 2003 के अधीन किसी विभाग को आवंटित समस्त कार्य, अन्य विभागों से परामर्श लेने और इस नियमावली के प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में दर्शाये गये मामलों को क्रमशः केबिनेट, मात्र मुख्यमंत्री या श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा निर्वाचन विषयक मामले भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन मामलों को अपने स्तर पर निस्तारित कर सकते हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये जायें।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eūvy | ꝓ; ꝑ&3

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूचना।

1-	foHkkx dk ꝓBukRed Lo: lk , oa foHkkx e¤ fofHkkUu Lrjk¤ ij fu.k¤ yus dh ifØ; k rFkk fofHkkUu i zdkj ds ekeyk¤ e¤ fu.k¤ ds Lrj l s l cf/kr	
	d- m0i Ddk; l fu; ekoyh 1975 %orleku e¤ mRRkj k[k.M e¤ ; gh ykxw g¤	मंत्रि—परिषद्, श्री राज्यपाल एवं मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णीत होने वाले विषयों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद-166 के अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अनुरूप।
	[k- ykd i frfuf/kRo vf/kfu; e] 1950 , oa 1951 %fuokpu fo"k; d dk; k¤ ds l Ei knu gr¤	निर्वाचन विषयक नियम एवं आदेशों के परिचालन की प्रक्रिया

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eʃuvy | a; k&4

uhfr fu/kkj.k o dk; klo; u ds | EcU/k eɪ turk ; k tu&i frfuf/k; kə l s i jke'kz
ds fy, cuk; h x; h 0; oLFkk dk fooj .k

सूचना शून्य है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eMvy | ; k&5

1-	nLrkost tks ykd i kf/kdkjh }kj k /kkfjr ; k ml ds	fu; U=.kk/khu g{ i dxk ds vud kj	<p>निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं शासन स्तर पर एक अनुभाग है, जिनमें सामान्य रूप से निम्न प्रवर्गों के दस्तावेज रहते हैं:-</p> <p>d-vuikkx Lrj ij &</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले विषयों से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ। 2. पत्रावलियों के अलावा अनुभाग में निम्न रजिस्ट्रर भी रखे जाते हैं:- <ul style="list-style-type: none"> i- उपस्थिति रजिस्टर। ii- आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। iii- डायरी डिस्पैच रजिस्टर। iv- स्थानीय डाक रजिस्टर। v- इन्डैक्स रजिस्टर। vi- फाईल रजिस्टर। vii- नष्ट की गयी पत्रावलियों के रजिस्टर। viii- विधान सभा प्रश्नों से संबंधित रजिस्टर। ix- लोक सभा प्रश्नों से संबंधित रजिस्टर। x- मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव से प्राप्त सन्दर्भों का रजिस्टर। xi- अशासकीय रजिस्टर। xii- गार्ड फाईल। xiii- बजट रजिस्टर।
			<p>[k- ed[; fuokpu dk; kly; Lrj ij</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर सम्पादित होने वाले विषयों से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ। 2. पत्रावलियों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निम्न रजिस्ट्रर भी रखे जाते हैं:- <ul style="list-style-type: none"> i. उपस्थिति रजिस्टर। ii. आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। iii. डायरी डिस्पैच रजिस्टर। iv. स्थानीय डाक रजिस्टर। v. इन्डैक्स रजिस्टर। vi. फाईल रजिस्टर। vii. नष्ट की गयी पत्रावलियों के रजिस्टर।

	<p>viii. विधान सभा प्रश्नों से संबंधित रजिस्टर।</p> <p>ix. लोक सभा प्रश्नों से संबंधित रजिस्टर।</p> <p>x. मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव से प्राप्त सन्दर्भों का रजिस्टर।</p> <p>xi. अशासकीय रजिस्टर।</p> <p>xii. गार्ड फाईल।</p> <p>xiii. बजट रजिस्टर।</p> <p>xiv. बजट आवंटन रजिस्टर।</p> <p>xv. कैश बुक।</p> <p>xvi. 11—सी।</p> <p>xvii. कोषागार रजिस्टर।</p> <p>xviii. जी0पी0एफ0 पासबुक।</p> <p>xix. सेवा पुस्तिकाये।</p> <p>xx. टैण्डर रजिस्टर।</p> <p>xxi. कोटेशन रजिस्टर।</p> <p>xxii. विभागीय पुस्तकों का रजिस्टर।</p> <p>xxiii. कन्टिजेन्सी रजिस्टर।</p> <p>xxiv. स्टॉक रजिस्टर।</p> <p>xxv. भवन निर्माण अग्रिम रजिस्टर।</p> <p>xxvi. वाहन लॉग बुक।</p>
	<p>[k- ftyk fuokpu dk; kly; Lrj i j</p> <p>1. जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर सम्पादित होने वाले विषयों से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ।</p> <p>2. पत्रावलियों के अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय में निम्न रजिस्ट्रर भी रखे जाते हैं:—</p> <ul style="list-style-type: none"> i. उपस्थिति रजिस्टर। ii. आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। iii. डायरी डिस्पैच रजिस्टर। iv. स्थानीय डाक रजिस्टर। v. इन्डैक्स रजिस्टर। vi. फाईल रजिस्टर। vii. नष्ट की गयी पत्रावलियों के रजिस्टर। viii. गार्ड फाईल। ix. बजट रजिस्टर। x. कैश बुक। xi. 11—सी। xii. कोषागार रजिस्टर। xiii. जी0पी0एफ0 पासबुक।

		xiv. सेवा पुस्तिकायें। xv. टैण्डर रजिस्टर। xvi. कोटेशन रजिस्टर। xvii. विभागीय पुस्तकों का रजिस्टर। xviii. कन्टिजेन्सी रजिस्टर। xix. स्टॉक रजिस्टर।
--	--	---

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eʃuvy | a[; k&6

ckM] i fj "knk] I fefr; k, oa vU; fudk; k, dk fooj .k

सूचना शून्य है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

e&vy | a[; k&7

ykd I puk vf/kdkfj ; ka ds uke] i nuke vkj vu; fof' kf"V; kW

fuokbu foHkkx
mRRkj k[k. M] ngj knu

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eūv&7

ykd I puk vf/kdkfj ; kā ds uke] i nuke , oa vU; fof' kf"V; kā
foHkkxh; vi hyV vFkksj Vh

Ø- I a	uke	i nuke	, I -Vh- Mh- dkM+	nj Hkk"k	QDI	blesy	i rk
1.	श्रीमती राधा रत्नडी	सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी	0135	2712055	2712014	--	सचिवालय परिसर, देहरादून

ykd I puk vf/kdkj h

Ø- I a	uke	i nuke	, I -Vh- Mh- dkM+	nj Hkk"k	QDI	blesy	i rk
1.	श्री मस्तू दास	अनुभाग अधिकारी	0135	2713551	2713724	--	कक्ष सं-15, उत्तरी ब्लॉक, देहरादून।

I gk; d ykd I puk vf/kdkj h

Ø- I a	uke	i nuke	, I -Vh- Mh- dkM+	nj Hkk"k	QDI	blesy	i rk
1.	---	---	---	---	---	---	---

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eūvy | ꝑ; k&8

fu.kl̥ yus dh ifØ; k lk; bsk.k , oa mÙkj nkf; Ro ds Lrj |

fu.kl̥ yus ds fy, fu/kkj r ifØ; k , oa fu.kl̥ ds Lrj

विभाग में जो कार्य सम्पादित किये जाते हैं, उन कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय के स्तर उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 की अनुसूची 1 व 2 में दिये गये। वर्तमान में यही नियमावली उत्तराखण्ड में भी लागू है। इस नियमावली की अनुसूची 1 में उन नियमों का उल्लेख किया गया है, जिन पर अंतिम निर्णय मंत्रि-मण्डल के स्तर पर लिया जाता है। अनुसूची-2 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री/राज्यपाल के स्तर पर लिया जाता है। कुछ मामलों का निर्णय विभाग के सचिव एवं उससे कनिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनिहित किये जा सकते हैं।

2. विभागीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण एवं नीति विषयक मामले सम्पादित होते हैं, उनमें अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आवश्यकता अनुसार न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग आदि से परामर्श लिये जाने की व्यवस्था है। किन मामलों में किस विभाग से परामर्श लिया जायेगा, यह उस मामले की प्रकृति एवं उस मामले में विद्यमान अधिनियमों, नियमावलियों, शासनादेशों के सन्दर्भ में लिया जाता है। इसके अलावा सेवा संबंधी मामलों में आवश्यकतानुसार लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लिए जाने की व्यवस्था है तथा जटिल विधिक मामलों महाधिवक्ता से भी राय ली जा सकती है।

lk; bsk.k , oa mÙkj nkf; Ro ds Lrj

vukkkx Lrj

1. अनुभाग स्तर पर सभी मामलों की कार्यवाही अनुभाग से प्रारम्भ होती है। यह अनुभाग का दायित्व है कि प्रथमतः किस मामले का विद्यमान आदेशों, नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण किया जाय तथा उसमें टिप्पणी अंकित कर अधिकारियों के समुख प्रस्तुत किया जाय। अनुभाग किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अनुभाग के मुख्य कार्य समस्त पत्रादि का पंजीकरण, पत्रावलियां खोलना, इन्डैक्स करना एवं अनुभाग में व्यवहृत मामलों का उस मामले के सम्बन्ध में विद्यमान आदेशों, नीतियों के अन्तर्गत परीक्षण करके टिप्पणी लिखना एवं आदेश हो जाने पर आदेश निर्गत करने हेतु अधिकारियों के अनुमोदन के लिए आलेख्य का प्रारूप रखना है।
2. निर्णय के स्तर मंत्रि-परिषद, मुख्यमंत्री/राज्यपाल एवं सचिव को प्रतिनिहित कार्यों के अनुरूप निर्धारित है। अनुभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विभाग में अधिकारियों को प्रस्तुत मामलों एवं अन्य विभागों को परामर्श हेतु भेजी गयी पत्रावलियों का अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही करे।
3. अनुभाग स्तर पर सभी मामले प्रारम्भ किये जाते हैं और निर्णय के स्तर अनुसचिव और उससे उपर हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण मामलों में सचिव, अपर सचिव,

- संयुक्त सचिव एवं उप सचिव भी अपने स्तर से किसी मामले को प्रारम्भ कर सकते हैं लेकिन सभी पत्रावलियां और अभिलेख एवं संबंधित समस्त रजिस्टर अनुभाग में ही रहते हैं।
4. अनुभाग का माह में एक बार अनु सचिव से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा तथा सचिव के द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था है।

ed; fuokpu vf/kdkj h dk; kly; Lrj

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय स्तर पर विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा विषयक कार्यों का सम्पादन एवं विभागीय आय-व्ययक से संबंधित समस्त कार्यों का निर्वहन किया जाता है।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यों यथा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, फोटो पहचान पत्र का कार्य, परिसीमन से संबंधित कार्य, लोक सभा निर्वाचन, विधान सभा निर्वाचन एवं राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति, राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यों का निर्वहन किया जाता है।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार विभिन्न विभागीय कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

fu.kl k dks turk rd i gpkus dh 0; oLFkk%&

इस व्यवस्था का विस्तृत रूप मैनुअल संख्या-16 में किया गया है, जो सभी अध्यादेशों, अधिनियमों, अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये नियमावलियों, संविधान अथवा किसी अधिनियम में प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन तथा अनुपालन के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचनायें राजकीय गजट में तथा आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्ति/प्रेस नोट जारी करके जनता को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नीतियों एवं कार्यक्रम की सूचनायें दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक शुल्क देकर आपत्ति रहित सूचना की सम्पूर्ति की व्यवस्था की गयी है।

foHkkx , o vf/kdkj h ftudh | Lrfr fu.kl yus ds fy, i klr dh tkri g%&

विषय विशेष की प्रकृति को देखते हुए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, विधायी विभाग एवं नियोजन विभाग से प्राप्त किया जाता है। इन विभागों से परामर्श लेने की प्रक्रिया उ0प्र0 (उत्तराखण्ड) सचिवालय अनुदेश, 1882 में दी गयी है। इसके अतिरिक्त सेवा सम्बन्धी कर्तिपय मामलों में लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लिया जा सकता है। लोक सेवा आयोग से जिन मामलों में परामर्श लिया जायेगा, उनका विवरण उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन विनियम, 2003) में किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्वाचन से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन/मार्गदर्शन लिये जाने की व्यवस्था है।

vfre fu.kl yus ds fy, i kf/kd'r vf/kdkj h%&

उन मामलों में जो उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 की अनुसूची-1 में विभाग से संबंधित हैं, निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा तथा इसी नियमावली की अनुसूची-2 में विभाग से संबंधित मामलों में निर्णय मुख्यमंत्री व निर्वाचन विषयक मामलों में निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा सचिव को प्रतिनिहित अधिकारों के सीमान्तर्गत तथा विभागाध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त प्रशानिक व वित्तीय अधिकारों का निर्णय लिये जाने का अधिकारी प्रतिनिधायन किया गया है, जिसका उल्लेख मैनुअल-2 में भी किया गया है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eſuvy | a[; k&9

vf/kdkfj ; k a vkJ depkfj ; k a dh funf' kdk

fuokpu foHkkx]
mRRkj k [k. M] nqj knu

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e

%esvvy | &9] Hkkx&2 foHkkx ds | nL; k] vf/kdkfj ; k] ds uke] i nuke rFkk
VsyhQksu | 0%

uke@i nuke	nij Hkk"k dk; kly;	QSI , oa bUVjdke	nij Hkk"k@vkokl h; irk
1. श्रीमती राधा रत्नेंद्री, सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी	0135-2712055	0135-2712014	पुलिस आफिसर्स कालोनी, किशनपुर, देहरादून
2. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी	0135-2713551	0135-2713724	257-सालावाला, देहरादून।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eſuvy | a[; k&10

vi us i R; sd vf/kdkj h vkJ deþkj h }kj k i klr ekfI d i kfj Jfed vkJ ml ds
fu/kkj .k dh i) frA

fuokþu foHkkx]
mRRkj k[k. M] nqj knuA

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eMvy | એક્સાઈસ

vi us i R; d vf/kdkj h vkj depkjh }kj k i kl r ekfI d i kfj Jfed vkj ml ds fu/kkj .k dh i) frA

ઠ- ા	uke	i nuke	ekfI d i kfj Jfed osueku	ekfI d i fj yfc/k; ka
1.	શ્રીમતી રાધા રત્નાંજલી, આઈઓ઎સ૦	સચિવ એવં મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી	સંવર્ગાનુસાર	સંવર્ગાનુસાર
2.	ડાનો હેમલતા ઢોંડિયાલ, આઈઓ઎સ૦	અપર સચિવ એવં સંયુક્ત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી	સંવર્ગાનુસાર	સંવર્ગાનુસાર
3.	શ્રી મસ્તુ દાસ	અનુભાગ અધિકારી	9300–34800+ (4200ગ્રેડ વેતન)	25810 / –
4.	શ્રી દિવાકર પ્રસાદ મનોડી	પ્રોસહાર / સહ કંસોલ આપરેટર	5200–20200+ (2400ગ્રેડ વેતન)	15450 / –
5.	શ્રી હરક સિંહ બિષ્ટ	વાહન ચાલક	5200–20200+ (1900ગ્રેડ વેતન)	11665 / –
6.	શ્રી રામ પ્રીત ગૌડ	અનુસેવક	4440–74400+ (1300ગ્રેડ વેતન)	10264 / –

i kfj Jfed vkj ml ds fu/kkj .k dh i | fr%

પારિશ્રમિક વિત્તીય હસ્ત પુસ્તિકા ખણ્ડ-2, ભાગ-2 સે 4 મેં ઉલ્લિખિત મૂલ નિયમો / સહાયક નિયમો તથા સમય-સમય પર શાસન દ્વારા ગઠિત વેતન આયોગો, વેતન સમિતિયોं કી સંસ્તુતિ કે આધાર પર વિત્ત વિભાગ કી સહમતિ સે કિયા જાતા હૈ।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eſuvy I a[; k&11

i R; d vfHkdkj.k (**Agency**) dks vkoſVRk ctV ¼l Hkh ; kst ukvkj 0; ; i Lrkoka
rFkk /ku forj.k dh I puk I fgr%

fuok]ou foHkkx]
mRRkj k[k. M] nqj kniuA

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eūvy | a; k&11

i R; d vfHkdj .k (Agency) dks vkoFVRk ctV

foÜkh; o"kl 2009&2010 ds vk; &0; ; d }kj k vunku | 0&5 ds ys[kk' kh"kl
 2015&fuokpu vk; kstuÜkj ds vUrkr fuokpu foHkkj mRRkj k[k. M
 gsrq ctV vkoä/u
 /kujkf' k gkjkae]

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">jktLo ys[kk vunku a; k&5</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">कुल बजट</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2015& fuokpu&vk; kstuÜkj</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">आवंटन</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">103—निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">01—केन्द्रीय आयोजनेतर/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनायें</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0101—फोटो पहचान पत्र</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">20000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">08—कार्यालय व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">20000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">42 —अन्य व्यय</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: right;">40000</td></tr> </table>	jktLo ys[kk vunku a; k&5	कुल बजट	2015& fuokpu&vk; kstuÜkj	आवंटन	103—निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण		01—केन्द्रीय आयोजनेतर/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनायें		0101—फोटो पहचान पत्र	20000	08—कार्यालय व्यय	20000	42 —अन्य व्यय			40000																																			
jktLo ys[kk vunku a; k&5	कुल बजट																																																		
2015& fuokpu&vk; kstuÜkj	आवंटन																																																		
103—निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण																																																			
01—केन्द्रीय आयोजनेतर/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनायें																																																			
0101—फोटो पहचान पत्र	20000																																																		
08—कार्यालय व्यय	20000																																																		
42 —अन्य व्यय																																																			
	40000																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">03 fo/kku Hkk , oa d n</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">01 वेतन</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">02 मजदूरी</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">03 महंगाई भत्ता</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">04 यात्रा व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">500</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">06 अन्य भत्ते</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">07 मानदेय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">500</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">08 कार्यालय व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">09 विद्युत देय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">600</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">13 टेलीफोन पर व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">200</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">500</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">17 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">19 विज्ञापन विक्री और विद्युतापन</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">42 अन्य व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">44 प्रशिक्षण व्यय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">50</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">47 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">50</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: right;">; kx] 03</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: right;">3810</td></tr> </table>	03 fo/kku Hkk , oa d n		01 वेतन	1	02 मजदूरी	1	03 महंगाई भत्ता	1	04 यात्रा व्यय	500	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1	06 अन्य भत्ते	1	07 मानदेय	500	08 कार्यालय व्यय	1000	09 विद्युत देय	1	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	600	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1	13 टेलीफोन पर व्यय	200	14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	17 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	19 विज्ञापन विक्री और विद्युतापन	1	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100	42 अन्य व्यय	100	44 प्रशिक्षण व्यय	100	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	50	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50		; kx] 03		3810	
03 fo/kku Hkk , oa d n																																																			
01 वेतन	1																																																		
02 मजदूरी	1																																																		
03 महंगाई भत्ता	1																																																		
04 यात्रा व्यय	500																																																		
05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1																																																		
06 अन्य भत्ते	1																																																		
07 मानदेय	500																																																		
08 कार्यालय व्यय	1000																																																		
09 विद्युत देय	1																																																		
11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	600																																																		
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1																																																		
13 टेलीफोन पर व्यय	200																																																		
14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1																																																		
15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1																																																		
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500																																																		
17 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100																																																		
19 विज्ञापन विक्री और विद्युतापन	1																																																		
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100																																																		
42 अन्य व्यय	100																																																		
44 प्रशिक्षण व्यय	100																																																		
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	50																																																		
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50																																																		
	; kx] 03																																																		
	3810																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">2015&fuokpu&vk; kstuÜkj</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">03&fuokpu ukekoyh r§ kj djuk vkj epz t</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">05&fuokpu vf/k"Bku 0; ;</td><td></td></tr> </table>	2015&fuokpu&vk; kstuÜkj		03&fuokpu ukekoyh r§ kj djuk vkj epz t		05&fuokpu vf/k"Bku 0; ;																																														
2015&fuokpu&vk; kstuÜkj																																																			
03&fuokpu ukekoyh r§ kj djuk vkj epz t																																																			
05&fuokpu vf/k"Bku 0; ;																																																			

01—वेतन 02—मजदूरी 03—महंगाई भत्ता 04—यात्रा व्यय 05—स्थानान्तरण यात्रा व्यय 06—अन्य भत्ते 07—मानदेय 08—कार्यालय व्यय 09—विद्युत देय 11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 13—टेलीफोन पर व्यय 14—कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय 15—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद 16—व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 19—विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय 27—चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 42—अन्य व्यय 44—प्रशिक्षण व्यय 45—अवकाश यात्रा व्यय 46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय 47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	17500 600 4400 1000 40 2625 40 3000 500 2000 100 500 1 1000 2500 800 300 200 400 200 1000 1000
; kx] 05	39966
104&ykd Hkk vks jkT; @I gk jkT; {ks ds fo/kku Hkkvks ds , d kfk puko djkus ds fy, i Hkkj 03—निर्वाचन 02—मजदूरी 04—यात्रा व्यय 07—मानदेय 08—कार्यालय व्यय 09—विद्युत देय 11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 13—टेलीफोन पर व्यय	1 1 1 1 1 1 1 1 1
; kx&104&03	7
105&I d n ds puko djkus ds fy, i Hkkj 03—सामान्य निर्वाचन 02—मजदूरी 04—यात्रा व्यय 07—मानदेय 08—कार्यालय व्यय 11—लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई 13—टेलीफोन पर व्यय 19—विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय 42—अन्य व्यय 46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय 47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1000 40000 10000 100000 20000 5000 1000 5000 2000 2000
; kx] 105&03	186000

04&mi fuokpu		
02—मजदूरी	1	
04—यात्रा व्यय	1	
07—मानदेय	1	
08—कार्यालय व्यय	1	
09—विद्युत देय	1	
11—लेखन सामग्री / फार्मों की छपाई	1	
13—टेलीफोन पर व्यय	1	
19—विज्ञापन विक्री और विख्यापन	1	
42—अन्य व्यय	1	
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	1	
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1	
	; kx 105&04	11
106&jkT; @I ॥k jkT; {ks= ds fo/kku e.My ds puko djkus ds fy, i Hkkj		
03&I kekU; fuokpu jkT; fo/kku I Hkk		
02—मजदूरी	1	
04—यात्रा व्यय	1	
07—मानदेय	1	
08—कार्यालय व्यय	1	
09—विद्युत देय	1	
11—लेखन सामग्री / फार्मों की छपाई	1	
13—टेलीफोन पर व्यय	1	
19—विज्ञापन विक्री और विख्यापन	1	
42—अन्य व्यय	1	
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	1	
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1	
	; kx] 106&03 &	11
05&mi fuokpu jkT; fo/kku I Hkk		
02—मजदूरी	1000	
04—यात्रा व्यय	1000	
07—मानदेय	1	
08—कार्यालय व्यय	6000	
09—विद्युत देय	1	
11—लेखन सामग्री / फार्मों की छपाई	500	
13—टेलीफोन पर व्यय	100	
42—अन्य व्यय	100	
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	100	
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50	
	; kx 106&05	8852
	egk; kx&	278657

½dy | Rrkbl djkm fN; kl h yk[k | Rrkou gtkj ek=½

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

e&fy I a; k&12

ed[; fo"k; ftu i j ykd i kf/kdj.k }jk fu.kl fy; k tkrk g\$ mudk fooj.k%&

- 1 fo"k; ftI ds I a;k es fu.kl fy; k tkrk g%
- 2 fu.kl yus es 'kkfey vf/kdkfj ; k
I s I Ei dI I puk%&

सूचना शून्य है।

सभी अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, 4—सुभाष रोड, देहरादून में बैठते हैं। इनके दूरभाष नम्बर निम्नवत हैः—

1. सचिव, निर्वाचन, 0135—2712055
उत्तराखण्ड शासन
2. मुख्य निर्वाचन 0135—2712055
अधिकारी, 0135—2713551
उत्तराखण्ड

- 3 fu.kl ds fo:) dgkWvkj dI s
vi hy dj%

निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन मुख्य सचिव/सचिव, निर्वाचन विभाग को दिया जा सकता है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eSuy | a; k&13

vunku@jkT; I gk; rk dk; Øek ds fØ; klo; u dh jhfr%&

सूचना शून्य है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eʃuvy | ə ; k&14

fj ; k; rk̪ vuʃki =k̪ rFkk i k̪f/kdkjks ds i k̪lrdrk̪vks ds | Ecl/k eʃ fooj . k%&

सूचना शून्य है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

e&u;v y | a; k&15

dR; k; ds fuo;gu ds fy, LFkkfi r ekud@fu; e%&

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अन्यथा निर्धारित किये गये मानकों (नाम) को छोड़कर मानक निर्धारित किये जाते हैं, जिसके आधार पर विभागीय कार्यों का निर्वाहन किया जाता है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eMvy | ¶; k&16

by DVkfud : lk eam i yC/k I puk; ¶

1. वेतन एवं आय—व्ययक संबंधी समस्त सूचनायें।
2. मतदाता सूची।
3. निर्वाचन संबंधी अन्य विवरण।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eMvy I a[; k&17

I puk i klr djus ds fy, ukxfj dk dks mi yC/k I fo/kkvks dk fooj .k

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा की गयी व्यवस्थाओं का विवरण

1. lkrdky; — शून्य
2. ukVd@uPdM+ — शून्य
3. v[kckjka rFkk I j dkjh — सभी अध्यादेश, अधिनियम, अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु बनायी गयी नियमावलियां, संविधान अथवा किसी अधिनियम में प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन तथा अनुपालन के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचनायें सरकारी गजट में तथा आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मतदाताओं हेतु विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूचना समय—समय पर राजकीय गजट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।
4. in'kuh — शून्य
5. I puk i Vy — शून्य
6. vflkys[kks dk fujh{k.k , o a nLrkostka dh ifr i klr — विभागीय / सचिवालय नियम संग्रह में उपलब्ध व्यवस्था परिशिष्ट “क” के अनुसार।
7. mi yC/k foHkkxh; eMvy —
 1. निर्वाचन विधि निर्देशिका।
 2. निर्वाचनों का संचालन नियम।
8. ykd i kf/kdj .k dh — www.ceouttaranchal.nic.in
c&I kbN
9. vU; i pkj &i d kj ds — शासन / विभाग के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा शासन / विभागीय नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की सूचना प्रेस वार्ता, प्रेस नोट तथा जनता के व्यक्तियों द्वारा उनसे भेंट के दौरान भी दी जाती है।

i f j f' k"V **d**

turk dks i frfyfi ; kW vkJ I puk dh I Ei frz djus rFkk I fpoky; ds vflkys[k&d{k rd i gpb dks fofo; fer djus ds fy, fu; e ¼; s fu; e I fpoky;] foHkkUu foHkkxksa ds }kj k orlku rFkk vU; vflkys[kksa dh i fr; ka inku djus dks Hkh fofo; fer djrs gSA

1. विभाग के अभिलेख कक्ष या विभिन्न विभागों के अभिलेखों से सूचना अथवा अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र (इन नियमों से संलग्न प्रपत्र संख्या-1) में अपने व्यवसाय ओर अस प्रयोजन, जिसके लिए प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो, का उल्लेख करते हुए शासन से संबंधित विभाग के सचिव को आवेदन करना चाहिए।
2. प्रत्येक प्रार्थना—पत्र पर संबंधित विभाग के गुणवगुण के आधार पर विचार किया जायेगा तथा केवल उसी सूचना की सम्पूर्ति की जायेगी जो आपत्ति रहित हो। पत्रावलियों में अभिलिखित टिप्पणियों और आदेशों के उद्धरणों के सम्पूर्ति नहीं की जायेगी। सरकारी अभिलेखों या उनके उद्धरणों की प्रतिलिपियों की सम्पूर्ति केवलन निम्नलिखित शुल्क के भुगतान करने पर ही की जायेगी:—

- (1) अन्वेषण शुल्क:—
 - (क) एक वर्ष की अनुक्रमणिका के लिए ₹0 2.00।
 - (ख) निर्दिष्ट अभिलेख के लिए ₹0 2.00 प्रति अभिलेख।
- (2) प्रतिलेखन शुल्क:—
 - (क) दो अक्षरान्तर (डबल स्पेसिंग) वाले एक फुलस्केप प्रत्रक के प्रतिलेखन का शुल्क—1 रुपया प्रति पत्रक।
 - (ख) प्रत्येक फुलस्केप पत्रक की दूसरी तथा तीसरी प्रतिलिपियों का शुल्क—50 पैसे प्रति प्रतिलिपि।
 - (ग) मूल प्रतियों में टंकित प्रति का मिलान करने का शुल्क—25 पैसे प्रति फुलस्केप पत्रक का।
 - (घ) डिस्केट या फलौपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फलौपी पचास रुपये।
- (3) परीक्षण शुल्क:—
प्रत्येक टंकित 10 पृष्ठों का अन्वेषण शुल्क—5 रुपये।

- टिप्पणी— (1) उपर्युक्त नियम 2(3) में सन्दर्भित अन्वेषण सम्बन्धित विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यह देखने के लिए किया जायेगा कि केवल उसी सूचना की सम्पूर्ति की जाये जो आपत्ति रहित हो और जो प्रति बनाई गई है वह मूल प्रलेख की सही प्रतिलिपि है। यह कार्य उस मिलान कार्य से सर्वथा भिन्न है जो नियम 2 (2) (ग) के अन्तर्गत एक सहायक द्वारा किया जाना है। ऊपर वर्णित परिव्यय संचयागत हैं और वैकल्पिक नहीं हैं वास्तविक शोध छात्रों को उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित परीक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
- (2) उपर्युक्त नियम—2 में निर्धारित शुल्क विभाग के कोषाध्यक्ष के पास अग्रिम जमा किया जायेगा जो उसे बिना अनुचित विलम्ब के कोषागार में जमा करेगा। जब वर्तमान कार्याधिकर्य के दबाव के कारण कार्य कार्यालय के घंटों के बाद किया जाय तो संबंधित अधिकारी की विशेष अनुमति से प्रतिलेखन शुल्क का भुगतान टंककों को किया जा सकता है।

- (3) किसी वास्तविक शोध छात्र को अनु/उप सचिव के विवरके पर अभिलेख कक्ष में अभिलेख का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जा सकती है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रपत्र (नियमों से संलग्न प्रपत्र संख्या-2) में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रपत्र संख्या-2 के किसी प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने से पूर्व यदि आवश्यक समझे तो उस विभाग से विचार-विमर्श कर सकता है जो निरीक्षण के लिए पेक्षित पत्रादि से संबंधित हो। किसी शोध छात्र को किसी अभिलेखों तक ही सीमित होगी जो प्राचीन काल से लेकर 30 वर्ष से अधिक पुराने हो।

विभाग के अभिलेख कक्ष अथवा उत्तराखण्ड के राजकीय अभिलेखागार में रखे गये ब्रिटिशकालीन भारत तथा भारतीय रियासतों से संबंधित अभिलेखों तक पहुँच की अनुमति केवल सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पूर्व स्वीकृति से ही दी जायेगी। ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों जो शोध छात्र नहीं हैं को अभिलेखों का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।

- (4) शोध छात्र द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण केवल अभिलेख कक्ष के अन्दर तथा अभिलेख कक्ष प्रभारी सहायक की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। अभिलेखों की प्रतिलिपियों या उनके उद्धरण अभिलेख कक्ष के बाहर नहीं ले जाये जायेंगे और न बिना सचिव की लिखित पूर्व अनुमति के अभिलेखों की किसी सूचना का कोई उपयोग किया जायेगा। सचिव उपरोक्त प्रस्तर-2 में निर्धारित शुल्क का भुगतान किये जाने पर अपने विवेकानुसार किसी शोध छात्र को ऐसी सूचना या प्रतिलिपि अथवा उद्धरणों की सम्पूर्ति कर सकता है, जिन्हें वह आपत्तिरहित समझता हो।

i = I; k&1

(निर्वाचन विभाग के अभिलेखों की प्रतिलिपियों एवं तत्सम्बन्धी सूचना संपूर्ति जनता को करने हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र)

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
निर्वाचन विभाग,
देहरादून।

महोदय,

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि मुझे निर्वाचन विभाग के अभिलेखों से निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां जारी करने की कृपा की जाय। मैं देय धनराशि की सूचना मिलने पर निर्धारित शुल्क विभाग के कार्यालय में अग्रिम जमा कर दूंगा।

1. नाम
2. व्यवसाय
3. सम्पूर्ति की जाने वाली सूचना का विवरण
4. वे प्रयोजन जिनके लिए सूचना की आवश्यकता है
5. हस्ताक्षर तथा दिनांक
6. पता

i j = I J ; k&2

(निर्वाचन विभाग के अभिलेख कक्ष में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र)

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
निर्वाचन विभाग,
देहरादून।

महोदय,

मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अभिलेखों के निरीक्षण हेतु निर्वाचन विभाग के अभिलेख कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाय। मैं वहाँ पर लागू नियम और शर्तों का पालन करने के लिए बचन देता हूँ। मैं..... विभागाध्यक्ष जिसके अधीन में कार्य कर रहा हूँ, के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ।

1. नाम
2. व्यवसाय
3. शोध का विषय
4. वह अवधि जिसके लिए अनुमति मांगी गयी है
5. किसके द्वारा संस्तुति की गयी है
6. हस्ताक्षर तथा दिनांक
7. पता
